यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालयः 10, वि.त्रै.म.सरणी, कोलकाता-700001

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कार्य हेतु यूको बैंक के शेयरधारकों की एक असाधारण सामान्य बैठक दिनांक 17 मार्च, 2011 को 11.00 बजे पूर्वाह्न भाषा भवन ऑडिटोरियम, नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में आयोजित की जाएगी :

विचार करने और यदि उचित पाया गया तो आशोधन सहित या उसके बिना विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पारित करने के लिए :

"संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसरण में एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, और/या इस संबंध में अपेक्षित किए जा सकनेवाले किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति, संस्वीकृति के, यदि कोई हो, अध्यधीन तथा ऐसे निबंधन, शर्तों और उसमें आशोधनों के अध्यधीन जो उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन दिए जाने में विहित किए जाएं और जिसपर बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आईसीडीआर विनियम) एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित विनियमों और समय-समय पर अन्य सभी सुसंगत प्राधिकरणों के अध्यधीन तथा जिस शेयर बाजार में बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं उनके साथ किए गए सूचीकरण करार के अध्यधीन बैक के शेयरधारकों की सहमति एतद्द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निदेशक मंडल" कहा गया है), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 (1) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा अवधारित किए जा सकनेवाले निर्गम मूल्य पर अधिमानी आधार पर नकदी के लिए कुल 940 करोड़ रु. के प्रत्येक 10/-रु. (रुपये दस मात्र) के 7,90,00,000 (सात करोड़ नब्बे लाख) तक ईक्विटी शेयर सृजित, प्रस्तावित, जारी एवं भारत सरकार को आबंटित करने हेतु प्रदान की जाती है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि नकदी प्रतिफल हेतु भारत सरकार को 7,90,00,000 (सात करोड़ नब्बे लाख) ईक्विटी शेयर आबंटित किए जाने पर बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूंजी बढ़कर प्रत्येक 10/-रु. के 62,83,60,000 शेयर हो जाएंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के अवधारण हेतु सुसंगत तारीख 15 फरवरी, 2011 है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को प्रस्ताव में किसी ऐसे आशोधन को स्वीकार करने का प्राधिकार एवं शक्ति होगी जो भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड / शेयर बाजार, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, या अन्य समुचित प्राधिकरणों द्वारा उनका निर्गम एवं आबंटन और उन्हें सूचीबद्ध करने के लिए अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं संस्वीकृति देते समय तथा निदेशक मंडल द्वारा यथासहमत रूप में अपेक्षा की जाए या अधिरोपित किया जाए।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किए जानेवाले उक्त ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शेयर के समरूप होंगे और ऐसे सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश के, यदि कोई हो, हकदार होंगे जो ऐसी घोषणा किए जाने के समय लागू हों ।"

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M. Sarani, Kolkata - 700 001

NOTICE

NOTICE is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of UCO Bank will be held at Bhasha Bhaban Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700 027 on 17th March, 2011, at 11.00 A.M. to transact the following business:

To consider and if thought fit pass with or without modification the following resolution as a special resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board") to create, offer, issue and allot upto 7,90,00,000 (Seven Crore Ninety Lakh) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at such Issue Price as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations and aggregating to Rs. 940 crores on Preferential basis to Government of India"

"**RESOLVED FURTHER THAT** consequent to the allotment of 7,90,00,000 (Seven Crore Ninety Lakh) equity shares to the Government of India for consideration in cash, the issued, subscribed and paid up capital of the Bank shall stand raised to 62,83,60,000 shares of Rs.10/- each.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is 15th February, 2011."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी किए जाने के प्रयोजनार्थ निदेशक मंडल को एतद्द्वारा ऐसे सभी कार्य,कृत्य,मामला एवं बात करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है जैसा वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा किसी ऐसे प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निवारण करे जो ईक्विटी शेयर निर्गमित करने के संबंध में उत्पन्न हो तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामला एवं बात भी करे एवं ऐसे सभी दस्तावेज एवं लेख को अंतिम रूप दे एवं उनका निष्पाादन करे जो आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो और जिसे वह, शेयरधारकों से आगे कोई सहमति या अनुमोदन या इस निमित्त एवं आशय के प्राधिकार की अपेक्षा किए बिना कि इससे शेयरधारकों द्वारा इस संकल्प के प्राधिकार से अभिव्यक्त रूप से इसपर अपना अनुमोदन दिया गया समझा जाए, अपने आत्यंतिक विवेकाधिकार से उचित, समुचित या वांछनीय समझे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उसे प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या बैंक के ऐसे अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित करे जैसा वह उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए उचित समझे।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
तारीख :19.02.2011

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

(ARUN KAUL)
Chairman and Managing Director

Place : Kolkata
Date : 19.02.2011

टिप्पणी :

व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है ।

परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में उपास्थित होने एवं मतदान करने के लिए हकदार कोई शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु अपने बदले किसी परोक्षी को नियुक्त करने का भी हकदार है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा परोक्षी बैंक का कोई शेयरधारक ही हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी करने के लिए यह जरूरी है कि वह बैंक के शेयर सेक्शन, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी 12 मार्च, 2011 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व अवश्य प्राप्त हो जाए। कृपया नोट करें कि यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को परोक्षी के रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है ।

प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी भी व्यक्ति को बैंक के शेयरधारक किसी कारपोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने या मतदान करने का हक तबतक नहीं होगा जबतक विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करनेवाले संकल्प की एक प्रति, जो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सही प्रति हो जिसमें संकल्प पारित किया गया था, बैंक के प्रधान कार्यालय, शेयर सेक्शन, वित्त विभाग, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, तृतीय तल, कोलकाता-700 001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व यानी 12 मार्च, 2011 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व जमा न की जाए। ऐसे प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निष्पादित परोक्षी फार्म, यदि कोई हो, प्रभावी होगा बशर्ते उसे उपर्युक्त दस्तावेज सहित उपर्युक्त उल्लिखित पते पर बैंक में 12 मार्च, 2011 को बैंक के कार्य-समय की समाप्ति के पूर्व जमा किया जाए।

कृपया नोट करें कि यूको बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार बैंक के किसी कर्मचारी या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस सूचना के साथ उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है। शेयरधारकों / परोक्षीधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें तथा उसमें उपलब्ध कराए गए खाली स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक-स्थल पर उसे सौंपें। शेयरधारकों के परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि अपने उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास पर, यथास्थिति, "परोक्षी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का उल्लेख करें।

शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्राचार

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते या अन्य किसी प्रकार के विवरण में परिवर्तन से संबंधित सूचना, यदि कोई हो, डीमैट शेयरों के मामले में अपने निक्षेप सहभागी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष शेयरों के मामले में सीधे बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें :

मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड

यूनिट : यूको बैंक

प्लाट नं. 17 से 24 तक, विट्ठलराव नगर, माधापुर, हैदराबाद- 500 081,

टेलीफोन : (040) 44655000, फैक्स : (040) 23420814

ऑनलाइन पूछताछ / शिकायतों के लिए बैंक के शेयरधारक मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट यानी www.karvycomputershare.com पर लॉग-इन करें और अपनी पूछताछ / शिकायतों के, यदि कोई हों, पंजीकरण हेतु इन्वेस्टर सर्विसेज पेज पर क्लिक करें।

शेयर सेक्शन एवं निवेशक शिकायत कक्ष

शेयरधारकों को शीघ्र एवं प्रभावी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बैंक ने अपने प्रधान कार्यालय, कोलकाता में निवेशक शिकायत कक्ष की स्थापना की है । किसी भी तरह की सहायता के लिए शेयरधारक और निवेशक निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से संपर्क कर सकते हैं :

कंपनी सचिव, शेयर सेक्शन एवं निवेशक शिकायत कक्ष, यूको बैंक प्रधान कार्यालय, 2, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700 001

टेलीफोन : 033-2231-6858

अन्य सूचना

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन वितरित नहीं किया जाएगा ।

Notes

The explanatory statement is annexed hereto.

APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF / HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHARE-HOLDER OF THE BANK. The proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on 12th March, 2011. Please note that any employee or officer of the Bank cannot be appointed as proxy as per provision of UCO Bank (Share and Meeting) Regulation, 2003.

APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank with Share Section, Finance Department, at 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata – 700 001 not later than FOUR DAYS before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours of the Bank on 12th March, 2011. The proxy form if any executed by such authorized representative will be effective provided the same is deposited with the Bank along with the above documents on or before the closing hours of the Bank on 12th March, 2011 at the above mentioned address.

Please note that an employee or officer of the Bank cannot be appointed as authorized representative as per provisions of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulation 2003.

ATTENDENCE SLIP CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip-cum-Entry Pass is annexed to this Notice, Shareholders/Proxy holders /Authorised Representative are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholders should state in their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy or Authorised Representative' as the case may be.

COMMUNICATION WITH SHARE TRANSFER AGENTS

Shareholders are requested to intimate changes, if any, in their registered address or any other particulars through their Depository Participant in case of DEMAT shares and directly in case of physical shares to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address :

M/S Karvy Computershare Private Limited
Unit : UCO BANK,
Plot No. 17 to 24, Vittal Rao Nagar, Madhapur, Hyderabad – 500 081
Tel : (040) 44655000 Fax : (040)23420814

For on line queries/grievances, shareholders of the Bank may login on the website of M/s Karvy Computershare Private Limited i.e., www.karvycomputershare.com and click on Investor Services page to register their queries/ grievances, if any.

SHARE SECTION & INVESTORS GRIEVANCE CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up Investors Grievance Cell at its Head Office, Kolkata, Shareholders and investor may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary, Share Section & Investors Grievance Cell, UCO Bank,
Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata – 700 001
Telephone : 033-2231-6858

Other Information

Shareholders may kindly note that no gift/coupon will be distributed at the meeting.

सूचना का अनुलग्नक

व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 की शर्तों के अनुसार यथापेक्षित व्याख्यात्मक विवरण एवं प्रकटन

क) **अधिमानी निर्गम के उद्देश्य**

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूँजी को सुदृढ़ करने की पहल के रूप में भारत सरकार ने दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 8% टियर-I सीआरएआर बनाए रखने में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समर्थ बनाने हेतु उन्हें पूँजी प्रदान करने का निश्चय किया है । भारत सरकार का प्रस्ताव है कि भारत सरकार के पक्ष में ईक्विटी के अधिमानी आबंटन के रूप में 940 करोड़ रु. (नौ सौ चालीस करोड़ रुपये) की पूँजी लगाई जाए । ईक्विटी शेयरों के अधिमानी आबंटन के बाद दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार बैंक 8% टियर-I सीआरएआर प्राप्त करेगा । जुटाई गई पूँजी का उपयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता में सुधार लाने और बैंक के कारोबार की सामान्य जरूरतों के लिए निधि उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा ।

ख) **समस्त अधिमानी निर्गम भारत सरकार-बैंक के प्रवर्तक** - द्वारा अभिदत्त किया जाएगा । निर्गम मूल्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आईसीडीआर विनियम के विनियम 76 (1) के अनुसार अवधारित किया जाएगा । चूंकि निर्गम मूल्य अभिनिश्चित करने की सुसंगत तारीख 15 फरवरी 2011 है, अतः इस प्रकार अवधारित निर्गम मूल्य लगभग 119 रु. है।

ग) निर्गम के पहले और बाद में शेयरधारिता का पैटर्न

क्रमांक	श्रेणी	निर्गम के पहले		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
अ.	**प्रवर्तक की धारिता**				
	1 प्रवर्तक	**34,93,60,000**	**63.59**	**42,83,60,000**	**68.17**
	भारत सरकार				
	विदेशी प्रवर्तक				
	2 कन्सर्ट में कार्यरत व्यक्ति				
	उप-योग	**34,93,60,000**	**63.59**	**42,83,60,000**	**68.17**
आ.	**गैर-प्रवर्तक धारिता**				
	3 संस्थागत निवेशक				
	क पारस्परिक निधि और यूटीआई	47,55,000	0.87	47,55,000	0.76
	ख बैंक, वित्तीय संस्थाएँ, बीमा कंपनियाँ (केंद्रीय/राज्य सरकार की संस्थाएँ/ गैर-सरकारी संस्थाएँ)	5,53,85,881	10.08	5,53,85,881	8.81
	ग विदेशी संस्थागत निवेशक	4,16,70,669	7.59	4,16,70,669	6.63
	उप-योग	**10,18,11,550**	**18.54**	**10,18,11,550**	**16.20**
	4 अन्य				
	क प्राइवेट कारपोरेट निकाय	1,80,67,398	3.29	1,80,67,398	2.88
	ख भारतीय जनता	7,71,95,332	14.05	7,71,95,332	12.29
	ग एनआरआई/ओसीबी	16,13,478	0.29	16,13,478	0.26
	घ कोई अन्य	13,12,242	0.24	13,12,242	0.21
	उप-योग	**9,81,88,450**	**17.87**	**9,81,88,450**	**15.63**
	कुल योग	**54,93,60,000**	**100.00**	**62,83,60,000**	**100.00**

ANNEXURE TO NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2009

a) **Objects of the Preferential Issue**

In an initiative to strengthen the capital of the Public Sector Banks, the Govt. of India decided to provide Capital to the Public Sector Banks to enable them to attain a minimum of 8% Tier –I CRAR as on 31st March, 2011. The Govt. of India proposes to infuse Rs.940 crores (Rupees Nine hundred and forty crores) by way of preferential allotment of Equity in favour of the Govt. of India. Subsequent to the preferential allotment of Equity shares, the Bank would attain 8% Tier I CRAR as on 31st March 2011. The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

b) **This entire preferential issue will be subscribed by the Government of India** – the Promoter of the Bank. The Issue Price shall be determined in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations. The issue price so determined is around Rs.119 considering that the relevant date for ascertaining the Issue Price is 15th February, 2011.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl No.	Category	Before the Issue		After the Issue	
		No. of shares held	Percentage of shareholding	No.of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoter's Holding**				
	1 Promoters	**34,93,60,000**	**63.59**	**42,83,60,000**	**68.17**
	Government of India				
	Foreign promoters				
	2 Persons acting in concert				
	Sub Total	**34,93,60,000**	**63.59**	**42,83,60,000**	**68.17**
B	**Non –Promoter Holding**				
	3 Institutional Investors				
	a Mutual Funds and UTI	47,55,000	0.87	47,55,000	0.76
	b Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt.Institutions /Non-government Institutions)	5,53,85,881	10.08	5,53,85,881	8.81
	c. FII's	4,16,70,669	7.59	4,16,70,669	6.63
	Sub Total	**10,18,11,550**	**18.54**	**10,18,11,550**	**16.20**
	4 Others				
	a Private Corporate Bodies	1,80,67,398	3.29	1,80,67,398	2.88
	b Indian Public	7,71,95,332	14.05	7,71,95,332	12.29
	c NRIs/OCBs	16,13,478	0.29	16,13,478	0.26
	d Any Others	13,12,242	0.24	13,12,242	0.21
	Sub Total	**9,81,88,450**	**17.87**	**9,81,88,450**	**15.63**
	Grand Total	**54,93,60,000**	**100.00**	**62,83,60,000**	**100.00**

घ) बैंक का प्रयास है कि निर्गम प्रक्रिया को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आईसीडीआर विनियम में यथाउल्लिखित विहित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए।

ङ) चूँकि समस्त निर्गम बैंक के प्रमुख शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार को किया जाना प्रस्तावित है, अतः, नियंत्रण में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा।

च) भारत सरकार की पूर्व एवं पश्च निर्गम शेयरधारिता निम्नानुसार होगी :

	शेयरों की संख्या	**पूँजी की तुलना में प्रतिशतता**
निर्गम-पूर्व	34,93,60,000	63.59
निर्गम-पश्चात	42,83,60,000	68.17

छ) बैंक के ईक्विटी शेयर छह माह से अधिक समय के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं और तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड आईसीडीआर विनियम के विनियम 76(3) एवं 78(5) के उपबंध तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के विनियम 73(1) (च) एवं (छ) के अधीन प्रकटन लागू नहीं हैं ।

ज) निर्गमित एवं भारत सरकार को आबंटित किए जाने वाले सभी शेयर आबंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अवरुद्ध रहेंगे।

झ) सांविधिक लेखा परीक्षक (कों) द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र कि निर्गम इन विनियमों की अपेक्षानुसार किया जा रहा है, असधारण सामान्य बैठक में उपस्थापित किया जाएगा।

ञ) भारत सरकार द्वारा धारित सभी शेयर अमूर्त रूप में हैं और बैंक उन शेयर बाजारों के साथ, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, किए गए सूचीकरण करार में यथाउल्लिखित ईक्विटी शेयरों के लगातार सूचीकरण की शर्तों का पालन कर रहा है । भारत सरकार ने सुसंगत तारीख के पूर्व छह महीने के दौरान बैंक का कोई ईक्विटी शेयर नहीं बेचा है ।

बैंक के कोई भी निदेशक इस संकल्प से संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं ।

निदेशक मंडल के आदेश से

अरुण कौल

(अरुण कौल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : कोलकाता
तारीख :19.02.2011

d) The Bank endeavours to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI ICDR Regulations.

e) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

f) The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre- issue	34,93,60,000	63.59
Post -issue	42,83,60,000	68.17

g) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73 (1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

h) All the shares to be issued and allotted to the Government of India shall be locked in for a period of three years from the date of Allotment.

i) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

j) All the shares held by the Government of India are in dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By order of the Board

(ARUN KAUL)
Chairman and Managing Director

Place : Kolkata
Date : 19.02.2011

यूको बैंक UCO BANK

प्रधान कार्यालय : 10, वि.त्रै.म.सरणी, कोलकाता -700 001

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

असाधारण सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति पर्ची - सह- प्रवेश पास

Attendance Slip-cum-Entry Pass for Extraordinary General Meeting

दिनांक : गुरुवार, 17 मार्च, 2011, समय : प्रात: 11.00 बजे

स्थान : भाषा भवन ऑडिटोरियम. नेशनल लाइब्रेरी, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता - 700 027

Date : Thursday, 17th March, 2011, at 11.00 A.M.

Venue : Bhasha Bhaban Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700 027

उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip

(प्रवेश करते समय सुपुर्द करें) / To be surrendered at the time of entry)

नाम : स्पष्ट अक्षरों में / Name: in BLOCK letters सदस्य /परोक्षी / Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या / No. of Shares

नाम : स्पष्ट अक्षरों में / Name: in BLOCK letters सदस्य /परोक्षी / Member/Proxy	फोलियो / ग्राहक पहचान संख्या Folio / Client ID No.	शेयरों की संख्या / No. of Shares

शेयरधारकों / परोक्षी, प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे सभा-भवन में प्रवेश हेतु इस उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास पर हस्ताक्षर कर उसे प्रस्तुत करें । प्रवेश पास वाले अंश को शेयरधारकों / परोक्षी / प्रतिनिधियों को वापस कर दिया जाएगा जिसे वे बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखें। फिर भी आवश्यकता समझे जाने पर अतिरिक्त सत्यापन / जांच के उपरांत प्रवेश की अनुमति दी जाएगी । किसी भी परिस्थिति में सभा भवन के प्रवेश द्वार पर कोई डुप्लिकेट उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास जारी नहीं किया जाएगा।

Shareholders/Proxy representatives are requested to produce this Attendance Slip-cum-Entry Pass signed, for admission to meeting hall. The Entry Pass portion will be handed back to the shareholders/proxy/representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The admission may, however, be subject to further verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, will any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass be issued at the entrance to the meeting hall.

शेयरधारक / परोक्षी / प्राधिकृत प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर
Signature of
Shareholder / Proxy / Authorised Representative

दिनांक : 17 मार्च, 2011
Date : 17th March 2011

Form "B"

यूको बैंक UCO BANK

Head Office : 10, B. T. M, Sarani Kolkata - 700 001

Proxy Form

(To be filled in and signed by the Shareholder
Extraordinary General Meeting dated March 17, 2011

Regd. folio No. (if not Dematerialised)
DP ID No. Client ID No. (if Dematerilesed)

I/We _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a share holder/shareholders of UCO Bank, Kolkata hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ as my/or our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting** of the shareholders of UCO Bank, to be held on Thursday, 17th March, 2011, at 11.00 A.M. at Bhasha Bhaban Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700 027 and at any adjournment thereof.

Re. 1/-
Revenue
Stamp

Signed this day of 2011

_____
Signature of Proxy

Name :

Address :

_____
Signature of first named / sole Shareholder

Instructions for Signing the Proxy form:

1. **No instruments of proxy shall be valid unless,**
   (a) In the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (b) In the case of joint holder, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorised in writing;
   (c) In the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing,
2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto, and attested by a judge, Magistrate, Registar or Sub-Registrar of Assurance or other Government Gazetted Officer or an Officer of UCO Bank.
3. **The proxy together with**
   (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
   (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Head Office of UCO Bank, Finance Dept. (Share Section), 2, India Exchange Place, 3rd floor, Kolkata-700 001 not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of Saturday, the 12th March, 2011.
4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is as per **Form "B"** and is duly stamped.
5. An instrument of Proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
8. No person shall be appointed duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.

बुक पोस्ट

Book Post

सुपुर्दगी नहीं होने पर, कृपया इस पते पर लौटा दें :
मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा.लि.
(इकाई : यूको बैंक)
प्लॉट न 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद - 500 081

If undelivered, please return to :
M/s. Karvy Computershare Private Ltd.
(Unit : UCO Bank)
Plot Nos. 17 to 24 Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad – 500 081

Design and Printed by : Swapna Printing Works Pvt. Ltd. Kolkata. Ph : 2350 8719